न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 43/23 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2023/88

उनवान

1. राममअवतार सिंह
2. रामपाल सिंह
3. सत्यवीर सिंह
4. संजय
5. राजेश

} पिस0 स्व0 निहाल सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम शाहपुरा तहसील मनियॉ जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर महोदय, धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार मनियॉ जिला धौलपुर।
3. चन्द्रवती पत्नी रामखिलाडी
4. अशोक
5. प्रवेश
6. रजन सिंह

} पिस0 रामखिलाडी जाति ठाकुर नि0 शाहपुरा तह0 मनियॉ जिला धौलपुर

7. बौबी पुत्री रामखिलाडी पत्नी राज किशोर जाति ठाकुर निवासी शाहपुरा हाल आबाद बीरई तहसील खैरागढ जिला आगरा।
8. राज कुमार
9. विजय कुमार

} पि0 वीरेन्द्र सिंह जाति ठाकुर नि0 शाहपुरा तह0 मनियॉ जिला धौलपुर।

10. वेवी पुत्र वीरेन्द्र सिंह पत्नी बहादुर सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम शाहपुरा हाल आबाद ऊट गिरी तहसील खैरागढ जिला आगरा
11. राजो पत्नी राधेश्याम
12. मनोज
13. रिंकू
14. रवि
15. भूरा

} पि0 राधेश्याम } जाति ठाकुर निवासी शाहपुरा तह0 मनियॉ जिला धौलपुर।

16. सीमा उर्फ सीया पुत्री निहाल सिंह पत्नी राजू जाति ठाकुर निवासी शाहपुरा हाल आबाद गढी चन्दमल तहसील किरावली जिला आगरा।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 24.03.2023 प्र0स0 क्रमशः 57/17 उनवान रामअवतार सिंह बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री सुरेश कटारा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री राजेन्द्र सिंह राणा एवं हरवीर सिंह उपस्थित।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 24.07.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट की ओर से विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 एक वाद 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम शाहपुरा में स्थित है। विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूषो को नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन हुयी जिसके अधीन विवादित आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूषो को कब्जा व दखल दिया गया और सभी आवंटन नियमो की पालना करते हुये विवादित आराजी बाबत् वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूषो को विवादित आराजी का गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा उनकी मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण विरासतन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार गैर खातेदार दर्ज हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण ने पटवारी हल्का को विवादित आराजी पर गैर खातेदार से खातेदार अंकित करने को कहा तो उन्होंनें मना कर दिया और कहा न्यायालय में दावा कर गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्राप्त करो। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर विधिक प्रावधानो की धारा 19(1) (एए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन प्रतिकूल कब्जे के आधार पर गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2023 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि वादी अपीलाण्ट का दावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने गैर खातेदारी स्त्रोत नहीं बताने एवं आवंटन आदेश पेश नहीं करने के आधार पर खारिज कर दिया। यह है कि दावा सहवन से भूमि का आवंटन समिति द्वारा आवंटित होने का किया जबकि प्रकरण नियमन का था। तहसीलदार धौलपुर के दिनांक 20.06.1966 की पालना में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को विवादित भूमि पर अमल करने के आदेश दिये थे। उक्त सभी आदेश हस्तगत अपील में प्रस्तुत कर दिये गये हैं। दिनांक 28.02.1973 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने आदेश दिया कि खसरा नम्बर 2360 रकवा 4 बीघा 14 विस्वा पर बेनीराम को गैर खातेदार दर्ज किया जावें। दूसरा आदेश गिरन्द सिंह व निहाल सिंह के नाम अमल करने का दिया। इस प्रकार तहसीलदार एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने गैर खातेदारी के इंद्राज करने के आदेश दिये हैं। उक्त आदेशो एवं नामान्तकरण की निरस्ती की कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं हुयी है। अतः विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि तहसीलदार के आदेश में खसरा नम्बर 1556/1 रकवा 4 बीघा पर निहाल व खसरा नम्बर 1556/1/2 रकवा 4 बीघा पर गिरन्द सिंह पुत्र श्री बैनीराम की काश्त बतायी है। जबकि ऐसा कोई खसरा है ही नहीं। जमाबन्दी पेश की, मूल खसरा नम्बर 1556/1/1 व 1556/1/1 के रूप में

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विभाजित काश्त बता दी एवं 7 वर्ष का लगना वसूल करने एवं काश्तकार दर्ज कर, सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को पालना/अमल कराने हेतु आदेश दिया, जो बिल्कुल अनाधिकृत एवं गैर कानूनी आदेश है। उक्त आदेश अपीलाण्ट ने राजस्व कर्मचारियो से सॉठ–गॉठ कराकर पारित कराया है, कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश में केवल तहसीलदार के आदेश का हवाला है एवं विवादित भूमि 8 बीघा का वर्णन है जबकि जमीन 4 बीघा ही है। इस प्रकार दोनों आदेश विधि अनुरूप नहीं हैं। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार अथवा सहायक भू प्रबन्ध अधिकार को इस प्रकार किसी को गैर खातेदारी देने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। अंत में विवादित भूमि को सिवायचक घोषित किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि आदेश तहसीलदार का है जो सहायक भू अभिलेख अधिकारी है, उक्त आदेशो को आज तक कही भी चुनौती नहीं दी गयी है। अभिकथनो के बाहर जाकर रैस्पो० बहस नहीं कर सकते अर्थात विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कराने की बहस नहीं कर सकते। तहसीलदार के आदेशो को प्रतिवादी रैस्पो० रामखिलाडी के वारिसान ने कोई चुनौती नहीं दी। 8 बीघा जमीन पर नहीं 4 बीघा पर ही हक मॉगा है। पक्षंकार ग्रामीण व्यक्ति हैं अनपढ हैं। वकील की गलती है कि दावा में विवादित भूमि को आवंटन से प्राप्त होना बता दिया। पैतृकता का पूर्व का रिकार्ड पेश नहीं किया। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. वकील रैस्पो० ने प्रतिउत्तर में कथन किया कि बहस अभिकथनो के बाहर जाकर नहीं की है। जबकि कानूनी बिन्दू उठाया है, जो कभी भी किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि भूमि पैतृकता के आधार पर निस्तारित होकर तीनो भाईयो को बराबर दी जावें अथवा सिवायचक घोषित की जावें। क्योंकि तहसीलदार व सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को इस प्रकार के आदेश पारित करने का कोई कानून अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

7. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायांलय में वादी अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को वादी अपीलाण्ट एवं प्रतिवादी रैस्पो० के पूर्व पुरूष बैनीराम पुत्र लखपत को नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा आवंटन होना एवं विवादित आराजी पर बतौर गैर खातेदार दर्ज होना कथन करते हुये, लम्बे समय से कब्जा काश्त के आधार पर गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदार दर्ज करने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट एवं प्रतिवादी रैस्पो० के पूर्वजो को विवादित आराजीयात पर बतौर गैर खातेदार दर्ज होना तो माना है किन्तु वादी अपीलाण्ट द्वारा आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं करने एवं गैर खातेदारी किस स्त्रोत से दर्ज हुयी बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण दावा वादी अपीलाण्ट खारिज किया गया है। हस्तगत अपील में दौराने बहस न्यायालय के समक्ष दो नये कानूनी बिन्दू इस प्रकार उभरकर आये हैं कि वादी अपीलाण्ट का कथन है कि विवादित आराजी पक्षकारान के पूर्व पुरूषो को जरिये आवंटन प्राप्त ना होकर नियमन होकर, गैर खातेदारी इंद्राज हुये हैं। हस्तगत अपील में उनके द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 28.02.1973, 20.06.1966 एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 28.02.1973 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी हैं। वादी अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनके अभिभाषक द्वारा प्रकरण में आवंटन होना सहवन से अंकित कर दिया था जबकि प्रकरण आवंटन का ना होकर नियमन का है। हमने गौर किया। यह सही है कि अभिभाषक की त्रुटि से किसी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दूसरा बिन्दू यह है कि प्रतिवादी रैस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी के पूर्व पुरूष को नियमन होकर गैर खातेदारी के इंद्राज आयें हैं। अतः विवादित आराजी पुश्तैनी सम्पत्ति है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि पक्षकारो के मध्य वहिस्सा बराबर दर्ज नहीं है। अतः पुश्तैनी सम्पत्ति के आधार पर सभी पक्षकारो को वहिस्सा बराबर आनी चाहिये। हमने मनन किया। इस तथ्य बाबत् प्रतिवादी रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई उज्र नहीं किया एवं ना ही इस प्रकार का कोई जवाब दावा ही प्रस्तुत किया। दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने आपत्ति की है कि प्रतिवादी रैस्पो0 अपने अभिकथनो के बाहर नहीं जा सकते। जिस पर अभिभाषक रैस्पो0 का जवाबी कथन रहा है कि प्रकरण में वादी अपीलाण्ट स्वयं द्वारा हस्तगत अपील में नये कथन (आवंटन का मुद्दा ना होकर नियमन का है) उठाये गये हैं। अतः प्रतिवादीगण रैस्पो0 अपने अभिकथनो से बाहर नहीं जाकर कानूनी बिन्दू उठा रहे हैं एंव कानूनी बिन्दू किसी भी स्तर पर कहीं भी उठाया जा सकता है। हमने मनन किया। चूंकि प्रकरण में दो नये कानूनी बिन्दू न्यायालय के समक्ष उभरकर आये हैं। पक्षकार न्याय की अनुभूति से वंचित ना हो। इसलिये उक्त दोनों कानूनी बिन्दूओं को, उभयपक्ष से दस्तावेजी साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर तय किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि प्रकरण में उक्त दोनों बिन्दूओ पर अतिरिक्त तनकी कायम करते हुये एवं उभयपक्ष को उक्त दोनों बिन्दूओ पर सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये, प्रकरण का पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2023 निरस्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुये, विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.08.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर